



# OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

**“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 लाख रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि दिनांक 24.01.2019 को वादी के भतीजे को अभियुक्तगण द्वारा सिर पर डंडा मारना और लात-घूसो से पीटना, उपचार के दौरान वादी के भतीजे की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पर मु०अ०सं०- 20/19 धारा- 304/504 भादवि बनाम मुसरान व नावेद पुत्रगण अलीहसन निवासी गण ग्राम चमरौआ थाना शहजादनगर जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 30.09.2024 को मा० न्यायालय ADJ/ FTC-2, रामपुर द्वारा अभियुक्तगण मुसरान व नावेद पुत्रगण अलीहसन उपरोक्त को **10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 लाख रू० अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्तगण मुसरान व नावेद पुत्रगण अलीहसन निवासी गण ग्राम चमरौआ थाना शहजादनगर जनपद रामपुर को **10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 लाख रू० अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @rampurpolice

 7839859826